ज्यूरी के निष्कर्ष

भारत में विश्व बैंक के कामकाज पर गठित इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्राइब्यूनल

11 सितंबर 2008

इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्राइब्यूनल द्वारा दिया गया फैसला

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

21-24 सितंबर 2007

विषय-सूची

विश्व बैंक पर ट्राइब्यूनल क्यों?	05
ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया	06
ट्राइब्यूनल का फोकस	08
भारत में विश्व बैंक समूह	09
ज्यूरी के नतीजे	11
विश्व बैंक की भारतीय परियोजनाओं पर उठाये गये सवाल	12
ज्यूरी के सदस्यगण	27
आयोजक संगठन एवं सलाहकार	29
सहयोगी संगठन/संस्थान	31
अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संगठन/संस्थान	33
सचिवालय	34

विश्व बैंक पर ट्राइब्यूनल क्यों?

पिछले कुछ साल से कई संगठन भारत में विश्व बैंक की कार्यप्रणाली पर नजर रखे हुए हैं। ये संगठन खासतौर से विश्व बैंक की देश सहायता रणनीति, अपने सामाजिक एवं पर्यावरणीय मानकों की बैंक द्वारा समीक्षा और नियमन मानकों को कम करने के लिए देश व्यवस्था को लागू करने की उसकी योजना आदि के बारे में निगरानी करते आ रहे हैं। इसी प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया कि विश्व बैंक और उसके सहयोगी संस्थानों की विस्तृत जांच की जाए और उनके प्रभावों का आकलन किया जाए। विश्व बैंक ट्राइब्यूनल की यहीं से शुरुआत हुई थी। ट्राइब्यूनल का मकसद विश्व बैंक समूह द्वारा वित्तपोषित या प्रोत्साहित परियोजनाओं के प्रभावितों को एक ऐसा मंच मुहैया कराने का था जहां वे अपनी आपबीती बेबाकी से रख सकें। यह ट्राइब्यूनल उनके लिए अपने कष्टों को व्यक्त करने और विकल्पों की तलाश करने का एक जरिया था।

मानवाधिकार उल्लंघन और पर्यावरण विखंडन के लिहाज से विश्व बैंक परियोजनाएं एक तरह से विश्व रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। इसी कारण भारत के लोग बार-बार ये मांग करते रहे हैं कि विश्व बैंक और भारत सरकार इन परियोजनाओं पर गंभीरता से पुनर्विचार करें। परंतु विश्व बैंक या भारत सरकार ने जनता की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं किया। इसी कारण अंततः यह तय किया गया कि जनहित के सवाल पर विश्व बैंक की सार्वजनिक रूप से जांच की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य हर तरफ फैलती जा रही विश्व बैंक की नीतियों और परियोजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करना था क्योंकि अब देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि यहां का शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ताना-बाना भी इनके दायरे में आ गया है।

ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया

अक्तूबर 2005 में मुंबई में 'आवास एवं शहरी गरीब' विषय पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया था जिसमें 200 से ज्यादा समूहों ने हिस्सा लिया था। वहां इस प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया था। लिहाजा, इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों और समूहों के साथ देश के विभिन्न भागों में 50 से ज्यादा परामर्श बैठकों का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय परामर्श बैठकों का आयोजन दो वर्षीय तैयारी अवधि के दौरान मुख्य रूप से उन राज्यों में किया गया जहां विश्व बैंक की सक्रिय भूमिका रही है। इनमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल प्रमुख थे।

इंडियन सोशल फोरम (दिल्ली, नवंबर 2006), जन स्वास्थ्य अभियान (भोपाल, मार्च 2007) तथा राष्ट्रीय भोजन अधिकार कन्वेंशन (गया, अप्रैल 2007) आदि बहुत सारे राष्ट्रीय मंचों और कन्वेंशनों में भी ट्राइब्यूनल पर चर्चा हुई। जून 2006 में बैंक इन्फॉर्मेशन सेंटर की ओर से वॉशिंगटन, डी.सी. में समान विचारधारा वाले समूहों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसके बाद पिछले कुछ दशकों से बैंक की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे व्यक्तियों व समूहों की बैठक हुई। इसके पश्चात सितंबर 2006 और जून 2007 में दिल्ली में दो राष्ट्रीय तैयारी एवं रणनीति बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में ट्राइब्यूनल की परिधि और संरचना तय करने के लिए पूरे देश के बहुत सारे आंदोलन समूहों को आमंत्रित किया गया था।

ट्राइब्यूनल का आयोजन 21-24 सितंबर 2007 को नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया गया। यह आयोजन जेएनयू विद्यार्थी संघ एवं जेएनयू शिक्षक संघ के साथ मिलकर किया गया था। इस ट्राइब्यूनल के सामने 150 से ज्यादा लोगों ने अपने वक्तव्य दिए, 200 विद्यार्थियों ने इस आयोजन में वॉलंयिटर के तौर पर योगदान दिया, 13 लोग ज्यूरी में बैठे और 700 से ज्यादा लोगों ने ट्राइब्यूनल में हिस्सा लिया। इस ट्राइब्यूनल के आयोजन से हेग, नीदरलैंड्स और बंगलादेश में भी इसी तरह की प्रक्रिया का सूत्रपात करने की प्रेरणा मिली।

ट्राइब्यूनल ऑन दि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कल्पना एक ऐसी सामूहिक प्रक्रिया के रूप में की गई थी जोकि देश भर के प्रमुख संगठनों और समूहों के मार्गदर्शन में चलेगा। ट्राइब्यूनल की संरचना इस प्रकार थीः

ज्यूरी - ट्राइब्यूनल संयोजकों, सलाहकारों और सचिवालय द्वारा भारत और अन्य देशों के कई जाने-माने व्यक्तियों को संयुक्त रूप से ज्यूरी के रूप में चुना गया। ज्यूरी के सदस्यों ने प्रभावित लोगों के बयान सुने और सामूहिक रूप से अपना निर्णय दिया।

संयोजक - इस प्रक्रिया में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयोजकों में कई प्रमुख समूह/स्थानीय संगठन और आंदोलनकारी शामिल हैं जिन्होंने जांच-पड़ताल के लिए विषय, क्षेत्र या इलाकों का चुनाव किया था। उन्होंने सहभागी संगठनों को इस बात के लिए सहायता दी कि वे प्रभावित लोगों को अपना बयान देने और ट्राइब्यूनल में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें, बयानों को इकट्ठा करें और जिन परियोजनाओं की जांच होनी है उनका चुनाव करें।

सलाहकार - अपने-अपने क्षेत्र में विशेष दक्षता रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ट्राइब्यूनल के तहत अनुसंधान और उसकी दिशा को तय किया।

सहमत/सहभागी संगठन - इस प्रक्रिया पर सहमति और समर्थन देने वाले बहुत सारे समूह/स्थानीय संगठन।

सचिवालय - इसमें ऐसे शोधकर्ता और संगठनकर्ता थे जिन्होंने प्रक्रिया को संचालित किया, विभिन्न समूहों से संपर्क किया और पैनल, संयोजकों एवं सलाहकारों के बीच पुल का काम किया। सचिवालय ने ही इस प्रक्रिया के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई और अनुसंधान में योगदान दिया।

ट्राइब्यूनल प्रक्रिया के तहत विभिन्न संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों के नाम 60 से ज्यादा निमंत्रण पत्र भेजे गए। आर्थिक मामले मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को भी आमंत्रित किया गया था। विश्व बैंक मुख्यालय तथा उसके दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय को भी निमंत्रण भेजा गया। खेद की बात है कि एक भी सरकारी विभाग के प्रतिनिधि ने इस आयोजन में हिस्सा नहीं लिया जबकि यह कार्यक्रम दिल्ली में ही आयोजित किया जा रहा था जहां ये सारे विभाग स्थित हैं। विश्व बैंक ने भी पहले तो इस बात पर मंजूरी दी थी कि उसके प्रतिनिधि आखिरी दिन के किसी एक सत्र में हिस्सा लेंगे और अपना जवाब पेश करेंगे लेकिन अंत में वहां से भी कोई नहीं आया। बैंक ने सचिवालय से आग्रह किया था कि ट्राइब्यूनल के सामने जो सबूत पेश किए जाने वाले हैं वे बैंक को मुहैया कराए जाएं ताकि बैंक के प्रतिनिधि अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर सकें। इस आग्रह को ध्यान में रखते हुए ट्राइब्यूनल के सामने आये बयानों, विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों और अन्य दस्तावेजों को बैंक के भारत स्थित कार्यालय भिजवा दिया गया था। परंतु आखिरी क्षण में विश्व बैंक ने तय किया कि उसके प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। उल्टे उन्होंने विश्व बैंक की वेबसाइट पर इस आयोजन की निंदा प्रकाशित कर दी। इतनी ही नहीं, विश्व बैंक के दिल्ली कार्यालय ने फटाफट दर्जन भर नागर समाज संगठनों को बुलाकर एक बैठक का आयोजन किया ताकि चर्चाओं के प्रति अपना खुलापन साबित कर सके। उल्लेखनीय है कि बैंक ने ट्राइब्यूनल प्रक्रिया से जुड़े किसी भी समूह के साथ किसी भी तरह का संवाद रखने के लिए साफ इनकार कर दिया था।

ट्राइब्यूनल का फोकस

ट्राइब्यूनल ने विश्व बैंक समूह के क्रियाकलापों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया क्योंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआइ) में सबसे सक्रिय और प्रभावशाली समूह यही है। ट्राइब्यूनल ने विश्व बैंक समूह तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के आपसी संबंधों और स्वरूप को भी उजागर किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला पीपुल्स ट्राइब्यूनल था जिसने निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया :

1. भारत में महिलाओं, बच्चों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, मजदूरों, मछुवारों और किसानों सहित विभिन्न कमजोर समुदायों पर विश्व बैंक परियोजनाओं के क्षेत्र एवं क्षेत्रवार प्रभाव;
2. विश्व बैंक की ऋण शर्तों से देश की संप्रभुता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर पड़ रहे प्रभाव;
3. "रिवॉल्विंग डोर" जो विश्व बैंक, सरकारी एजेंसियों और कंसलटेंट्स को एक-दूसरे से जोड़ देती है;
4. ज्ञान प्रदाता के रूप में बैंक का प्रभाव;
5. भारत के नीति निर्धारण और कानूनों को तय करने में विश्व बैंक की कितनी हिस्सेदारी है तथा
6. सामाजिक क्षेत्रों (भोजन, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा), खासतौर से गरीबी उन्मूलन और असमानता पर अंकुश के लिहाज से कर्जों के बोझ और शर्तों के क्या असर पड़ रहे हैं।

ट्राइब्यूनल ने विश्व बैंक की गतिविधियों के तकरीबन सारे क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन किया। संगठनों ने पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी विकास और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में विश्व बैंक के प्रभावों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। राज्यवार साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक प्रमुख थे जहां बैंक की देखरेख में ढांचागत समायोजन कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

भारत में विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक समूह एक वैश्विक, अंतर्सरकारी संगठन है। गरीबी पर अंकुश लगाना उसका घोषित उद्देश्य रहा है। साठ साल के अपने कामों में उसने विकासशील देशों को लगभग 525 अरब डॉलर की राशि बांटी है जिसमें से ज्यादातर कर्ज के रूप में दिया गया है। भारत शुरू से ही उसके मुख्य ग्राहकों में रहा है। चीन, रूस और इंडोनेशिया के साथ फिलहाल भारत उसके शीर्ष चार ग्राहकों में आता है। विश्व बैंक विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने तथा मैक्रो. इकोनॉमिक नीतिगत "सुधारों" के लिए राष्ट्रीय सरकारों को कर्जा देता है। विश्व बैंक की एक विशाल अनुसंधान शाखा भी है। विश्व बैंक 185 सदस्य देशों से मिलकर बना है। भारत भी उसके सदस्यों में से एक है। विश्व बैंक की सदस्यता लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होना जरूरी होता है।

विश्व बैंक बड़े बांधों, बिजली घरों, राज मार्ग आदि विशाल ढांचागत परियोजनाओं के लिए कर्ज देने में सबसे आगे रहा है। परंतु हाल के सालों में विश्व बैंक भारत में इससे कहीं ज्यादा व्यापक नीतिगत भूमिका निभाने लगा है। विश्व बैंक ने न केवल राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों बल्कि शहरी विकास और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों को तय करने में भी अहम भूमिका अदा की है।

विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित संस्थाएं आती हैं :

1. दि इंटरनैशनल बैंक ऑफ रीकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट
   (अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक -- आईबीआरडी)
2. दि इंटरनैशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए)
3. इंटरनैशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम -- आईएफसी)
4. मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी -- एमआईजीए)
5. इंटरनैशनल सेंटर फॉर सेंटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स (आईसीएसआईडी)

आईबीआरडी मुनाफे के लिए सरकारों को कर्ज देता है। आईडीए अपने गरीब सदस्य देशों को बहुत कम सेवा शुल्क के आधार पर दीर्घकालिक ऋण देता है। आईएफसी निजी क्षेत्र को इक्विटी और ऋण पूंजी, दोनों उपलब्ध करवाता है। एमआईजीए निजी निवेशकों को राजनीतिक जोखिम बीमा उपलब्ध करवाता है जबकि आईसीएसआईडी विदेशी निवेशकों और सरकारों के बीच मध्यस्थता करता है। आईसीएसआईडी को छोड़ कर भारत विश्व बैंक समूह के सभी संस्थानों का सदस्य है।

आईबीआरडी और आरडीए ने जुलाई 2007 तक भारत को 69.7 अरब डॉलर का कर्ज दिया है।

आईएफसी ने अब तक 199 भारतीय कंपनियों में लगभग 5.35 अरब डॉलर का निवेश किया है। आईएफसी के ग्राहकों में भारत का तीसरा स्थान है। आईएफसी ने अकेले 2007 में ही भारत में 1.05 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था। आईएफसी ने भारत में जिन कंपनियों में निवेश किया है उनमें ऐलेन डूहांगन हाइड्रो पावर, पेट्रोनेट, टाटा आयरन एण्ड स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, डाबर फार्मा, भारत बायोटेक, भारती टेलीकॉम और जेट एयरवेज आदि शामिल हैं।

विश्व बैंक समूह में मतदान का अधिकार संबंधित देशों के वित्तीय योगदान से तय होता है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के पास बैंक में सबसे ज्यादा मतदान शक्ति रही है। जून 2008 तक आईबीआरडी में अमेरिका के वोट का मूल्य 16.38 प्रतिशत और आईडीआई में 12.67 प्रतिशत था। एमआईजीए और आईएफसी में अमेरिका के वोट

का मूल्य 23.63 प्रतिशत है।

आईबीआरडी में भारत के वोट का मूल्य 2.78 प्रतिशत और आईडीए में 2.82 प्रतिशत है। एमआईजीए और आईएफसी में भारत के वोट का मूल्य 3.39 प्रतिशत है।

भारत के बारे में जारी की गई ताजा राष्ट्रीय रिपोर्ट में विश्व बैंक ने 2005-2008 की अवधि के लिए अपनी योजनाओं का खाका पेश किया है। इसमें बैंक ने तीन ऐसे क्षेत्र गिनाए हैं जहां उसका सबसे ज्यादा निवेश रहेगा :

1. बुनियादी ढांचा (सड़क, परिवहन, बिजली, जलापूर्ति और स्वच्छता, सिंचाई और शहरी विकास)
2. मानव विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा)
3. ग्रामीण रोजगार (इसमें समुदाय केंद्रित पद्धतियों पर विशेष जोर दिया जाएगा)।

बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश पर विश्व बैंक विशेष ध्यान देगा।

2004 में बहुत सारे नागर समाज समूहों ने देश सहायता रणनीति का विरोध किया था क्योंकि इस रिपोर्ट में वित्तीय सहायता को मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के निजीकरण जैसी शर्तों के साथ जोड़ दिया गया था। इस रणनीति में पिछली परियोजनाओं और नीतिगत विफलताओं से सबक सीखने की बजाय विशाल बांधों और अन्य विनाशकारी परियोजनाओं के लिए नए सिरे से कर्जे देने का प्रस्ताव भी रखा गया था। इस दस्तावेज का इसलिए भी विरोध हुआ क्योंकि उसको तैयार करने में एक पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।

भारत की अगली देश सहायता रणनीति के लिए परामर्श की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

ज्यूरी के नतीजे

ज्यूरी, इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्राइब्यूनल ऑन दि वर्ल्ड बैंक इन इंडिया

11 सितंबर 2008

ज्यूरी के हम 13 सदस्यों ने पिछले चार दिन में लगभग 60 स्थानीय संगठनों, नागर समाज संगठनों और समुदायों के 150 प्रभावितों, विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के वक्तव्य एवं पक्ष सुने हैं। इन प्रस्तुतियों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के 26 अलग-अलग आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बयानों में राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और उनके प्रभावों से लेकर विश्व बैंक द्वारा संचालित परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों की आपबीती तक तमाम तरह के अनुभव हमारे सामने आए हैं। हमारे ज्यूरी सदस्यों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व न्यायाधीश, लेखक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, धर्म गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत सरकार के भूतपूर्व अधिकारी आदि शामिल हैं। यहां हम इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं कि विश्व बैंक के दिल्ली कार्यालय को समय से दो सप्ताह पहले ही ट्राइब्यूनल में शिरकत करने के लिए आमंत्रण भेज दिया गया था परंतु उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया।

हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि विश्व बैंक गरीबी उन्मूलन और विकास के अपने स्वघोषित लक्ष्य के नाम पर अपनी सारी कार्रवाइयों को जायज ठहराने की कोशिश करता रहा है परंतु सच्चाई यह है कि उसके क्रियाकलापों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। ज्यादातर उदाहरणों में विश्व बैंक की गतिविधियों के कारण गरीबों की स्थिति और खराब हुई है। गहरे दुख का विषय है कि भारत में विश्व बैंक के गरीब और हाशियाई भु. क्तभोगियों की संख्या छोटी नहीं है। ऐसे प्रभावितों की संख्या कुल आबादी में 27.5 प्रतिशत है जबकि आबादी का तीन चौथाई हिस्सा रोजाना 20 रुपए प्रतिदिन (क्रय शक्ति) से भी कम पर जीवनयापन करता है। गरीबी उन्मूलन और विकास के नाम पर भारत के अधिकांश नागरिकों को चोट पहुंचाने और हाशिए पर धकेल देने की यह कोशिश न केवल अमानवीय है बल्कि एक सामाजिक अपराध भी है।

विश्व बैंक की भारतीय परियोजनाओं पर उठाये गये सवाल

गरीबी

आरोप 1 : विश्व बैंक भारत में गरीबी पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है।

विश्व बैंक की नीतियां धन-संपदा के संकेंद्रण को दिनोंदिन बढ़ा रही हैं जिससे अमीर-गरीब का फासला लगातार बढ़ रहा है। बयानों से पता चलता है कि बैंक द्वारा थोपे गए ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों और उसके बाद अपनाई गई गरीबी उन्मूलन रणनीतियों के कारण गरीबी पर अंकुश लगाने की रफ्तार और धीमी हो गई है। आर्थिक उदारीकरण तथा सार्वजनिक व्यय में कटौती से संबंधित विश्व बैंक के पैकेज ने गरीबी के बोझ को और बढ़ा दिया है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसी नीतियां लागू करने के लिए विश्व बैंक से जवाब मांगना चाहिए जोकि उसके घोषित उद्देश्यों के विपरीत हैं। विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन को अपना सबसे बड़ा उद्देश्य घोषित किया हुआ है जोकि भारत सरकार की दसवीं योजना और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल्स) में भी शामिल है।

आरोप 2 : विश्व बैंक जानबूझकर गरीबी के बारे में गलत आंकड़े पेश करता है।

ऐसा लगता है कि विश्व बैंक और भारत सरकार जानबूझकर और आपसी सहमति के आधार पर गरीबी के ऐसे आंकड़े तैयार करते हैं जो जमीनी हकीकत तथा करोड़ों लोगों के कष्टों की सही तस्वीर पेश नहीं करते। यह बात गरीबी की व्यापक तस्वीर सामने रखने वाले स्थानीय साक्ष्यों से साबित हो जाती है।

खाद्य सुरक्षा और कृषि

आरोप 3 : विश्व बैंक की नीतियों ने भारत में भूख बढ़ा दी है।

विश्व बैंक ने एक ऐसे आर्थिक नीतिगत परिवेश को जन्म दिया है जिसकी वजह से गरीबी में इजाफा हुआ है। उसकी नीतियों के कारण ऐसे सरकारी सुरक्षा साधन छिन्न-भिन्न हो गए हैं जिन्हें भीषण गरीबी से राहत देने के लिए शुरू किया गया था। उदारीकरण, बाजारोन्मुखी सुधारों और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के नाम पर सार्वजनिक व्यय में कटौती के जरिए विश्व बैंक ने ग्रामीण व शहरी भारत में असंख्य लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। 1997 में विश्व बैंक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक योजना के स्थान पर एक लक्ष्य केंद्रित योजना में तब्दील करने में भी अहम भूमिका अदा की थी। इस बारे में तैयार की गई अभिजीत सेन कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1997 से 2001 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य भंडार की उपलब्धता और वितरण, दोनों में बहुत भारी गिरावट आई है। इन तथ्यों के बावजूद विश्व बैंक एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के संदर्भ में भी यही रणनीति अपनाने पर आमदा है जबकि सर्वोच्च न्यायालय भोजन अधिकार के मामले में इससे विपरीत आदेश दे चुका है। ये नीतियां एक ऐसे देश में निश्चित रूप से आपराधिक कृत्य हैं जहां भयानक बाल कुपोषण पिछले आठ साल में 46 प्रतिशत से भी ऊपर रहा है।

आरोप 4 : विश्व बैंक की वजह से भारत में खेती की हालत खराब हुई है और किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

जिस देश में लगभग 70 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर आश्रित है वहां विश्व बैंक लगातार इस बात के लिए जोर दे रहा है कि व्यावसायिक मुनाफों के लिए कृषि क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित नीतियां सुझाई या लागू की जा रही हैं :

* बीजों का निजीकरण किया जाए, खासतौर से 1988 की राष्ट्रीय बीज परियोजना (3) के माध्यम से। इसकी वजह से भारतीय खेती बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों पर निर्भर होती जा रही हैं। इससे छोटे किसानों पर आर्थिक बोझ बेहद बढ़ा दिया है।

* विश्व बैंक द्वारा 1991, 1994 और 1997 में थोपी गई व्यापार उदारीकरण की शर्तों के कारण खाद्य तेल आयात पर गैर-सीमा शुल्क बंधन समाप्त कर दिए गए हैं और उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम से भी हटा दिया गया है। इन बदलावों से लाखों किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है और भारत की उच्च उत्पादन दर तथा लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है।

* विश्व बैंक की नीतियों और कार्यक्रमों ने तंबाकू, कपास और अरंड बीज जैसी नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया है। फलस्वरूप, छोटे किसान कीमतों में भारी अस्थिरता के शिकार हो रहे हैं जबकि इस तरह की असुरक्षा से बचने के लिए उनके पास बीमा या कोई अन्य साधन नहीं हैं।

* न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और विभिन्न सरकारी खरीद योजनाओं के खत्म हो जाने से किसानों की आमदनी में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में कपास के किसानों की आत्महत्याओं से यह बात बिल्कुल साफ हो गई है।

भारत सरकार खुद मान चुकी है कि 1993 से अब तक पूरे देश में 1,50,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जमीनी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। छोटे किसान विश्व बैंक के इशारों पर लागू की जा रही व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, बीज क्षेत्र निजीकरण, सार्वजनिक व्यय में कटौती, कृषि विस्तार केंद्रों की बंदी, नई तकनीकों के आगमन और स्वास्थ्य व्यवस्था के निजीकरण की नीतियों का सामना करने में नाकामयाब साबित हुए हैं। उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों और स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती लागत ने छोटे किसानों को कर्ज के एक ऐसे चक्र में फंसा दिया है जिससे बचना अब उनके बूते की बात नहीं रह गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां नकदी फसलें ज्यादा होती हैं और आर्थिक उदारीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यहां टिकाऊ खेती की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 40 प्रतिशत आत्महत्याएं अकेले कर्नाटक में हुई हैं जहां विश्व बैंक कर्नाटक आर्थिक पुनर्गठन ऋण परियोजना 1 एवं 2 के कारण बिजली की कीमतों में इजाफा, कृषि सब्सिडियों की समाप्ति और खाद्य सब्सिडियों में कटौती से किसानों के कर्जे और परेशानियां बढ़ गई हैं। इसके बावजूद विश्व बैंक अपराधियों की तरह इन सवालों का सामना करने से भाग रहा है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक कृषि व्यापार एवं उत्पादन के क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ की समझ (कृषि समझौता) का समर्थन करता रहा है जिससे छोटे और मझौले किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां

आरोप 5 : विश्व बैंक के नेतृत्व में चल रहे विकास से भारत में रोजगार नहीं बढ़े।

जो आंकड़े सामने आये हैं उनसे पता चलता है कि विश्व बैंक के नेतृत्व में चलाए जा रहे आर्थिक सुधार मजदूरों की दृष्टि से विनाशकारी साबित हुए हैं। जानकारों का मानना है कि विश्व बैंक के कहे अनुसार सरकार की आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से रोजगार वृद्धि दर धीमी हुई है तथा रोजगारों की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। वर्ष 1990 के दशक में देश के कई जिलों में वास्तविक वेतन में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। विश्व बैंक और भारत के नीति निर्माताओं ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर तो बढ़ा दी है मगर यह रोजगारविहीन विकास

है जिसमें गरीबों के लिए उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। राज्य पुनर्गठन पैकेज के तहत कर्नाटक में तकरीबन 2,00,000 स्थायी कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया गया जिनमें से ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ने के बाद कोई काम नहीं ढूंढ पाए।

आरोप 6 : विश्व बैंक के दबाव में किए गए वित्तीय उदारीकरण के कारण ग्रामीण गरीबों, खासतौर से दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले ऋण में कमी आई है।

विश्व बैंक के दबाव में किए गए वित्तीय उदारीकरण ने भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद मिली सफलताओं को निरर्थक कर दिया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वजह से ग्रामीण गरीबों के लिए उपलब्ध ऋण विकल्पों में काफी इजाफा हुआ था। विश्व बैंक की देख-रेख में 1991 में ढांचागत समायोजन ऋण समझौते की शर्तों के तहत शुरू किए गए वित्तीय उदारीकरण ने गरीब इलाकों और हाशिये पर पड़ी आबादी के लिए ऋण की उस व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। ऋण के कुशल आवंटन के नाम पर विश्व बैंक ने वित्त क्षेत्र के विनियमन पर जोर दिया है जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में छोटे उत्पादकों की बजाय बड़े काश्तकारों को ऋण दिया जाने लगा है। इसके चलते खेतिहर जमीन का हस्तांतरण हो रहा है और ग्रामीण गरीबों की आजीविका नष्ट होने लगी है।

आरोप 7 : विश्व बैंक सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम वित्तीय उदारीकरण को वैधता देते हैं और स्थानीय महिला आंदोलनों को चोट पहुंचाते हैं।

विश्व बैंक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम इस दावे पर आधारित है कि बाजारों तथा नए वित्तीय साधनों के आने से गरीबी तथा जेंडर आधारित असमानता समाप्त हो जाएगी। परंतु इन कार्यक्रमों में आर्थिक कुशलता के अलावा और किसी सामाजिक आयाम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फलस्वरूप, ये कार्यक्रम महिला आंदोलन को कमजोर करने वाले साबित हुए हैं। आंध्र प्रदेश में वेलुगू/इंदिरा क्रांति पदम कार्यक्रम के बारे में आए बयानों से पता चलता है कि ये कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को भारी ठेस पहुंचा रहे हैं। इनमें बचत, ऋण और ऋण अदायगी जैसी आर्थिक गतिविधियों के बारे में महिलाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है और महिलाओं को रा. जनीतिक सहभागिता तथा व्यापक सामाजिक आंदोलनों से अलग-थलग किया जा रहा है। इस घटनाक्रम की वजह से सामाजिक भेदभाव और बढ़ गया है। इन कार्यक्रमों का नेतृत्व प्रभुत्वशाली जातियों की महिलाओं के हाथों में सिमटता जा रहा है और भारतीय समाज में मौजूद पितृसत्तात्मक रुझान मजबूत हुए हैं।

मूलभूत सेवाएं

आरोप 8 : विश्व बैंक के कार्यक्रमों ने मूलभूत सेवाओं को गरीबों की पहुंच से बाहर कर दिया है जिससे उनके जीवन में वंचना और अभाव बढ़ गए हैं।

विश्व बैंक ने आवश्यक सेवाओं को ज्यादातर गरीब भारतीयों की पहुंच से दूर कर दिया है। ऐसे सरकारी संस्थानों और सेवाओं को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है जिन्हें गरीबों के हित में ही शुरू किया गया था। इसके विपरीत, विश्व बैंक विद्युत क्षेत्र, जल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण पर केंद्रित परियोजनाओं को पैसा देने में कभी नहीं हिचकिचाता। उपभोग शुल्क की व्यवस्था लागू कर देने से ये सेवाएं भारतीय गरीबों के बूते से बाहर चली गई हैं जिससे उनकी वंचना और अभाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

आरोप 9 : विश्व बैंक विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजनाएं विफल हो चुकी हैं।

प्रभावितों के बयानों से पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा दिए गए कर्ज पर आधारित सुधार कार्यक्रम उपभोक्ताओं के लिए कितने नुकसानदेह साबित हुए हैं। ये सुधार मुख्य रूप से विद्युत सेवा वितरण गतिविधियों पर केंद्रित थे। इनके तहत वितरण कार्यो को निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। दूसरी ओर उन क्षेत्रों को सार्वजनिक नियंत्रण में रखा गया है जिनमें भारी निवेश की जरूरत थी (जैसे विद्युत उत्पादन)। भुक्तभोगियों के बयानों से पता चलता है कि विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित विद्युत कार्यक्रमों में जनता

द्वारा निगरानी मुश्किल हो गई है, निजी कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं और सामान्य उपभोक्ता के लिए लागत बढ़ती जा रही है। बाजारीकरण की इस प्रक्रिया से गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि बिजली उत्पादन से इस कार्यक्रम का कोई संबंध नहीं है। यह कार्यक्रम केवल व्यावसायिक कंपनियों के ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए चलाया जा रहा था।

* बैंक की देख-रेख में विद्युत सुधारों को लागू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य था। यह स्पष्ट रूप से एक विफल प्रयोग रहा है। इस बात को सरकार और विश्व बैंक, दोनों की रिपोर्टों में देखा जा सकता है। निजी कंपनियां उड़ीसा में पूंजी या विशेषज्ञता हासिल करने में विफल रही हैं, कुशलता में इजाफा नहीं हुआ है और संचरण एवं वितरण घाटे में कोई कमी नहीं आई है।

* उड़ीसा में सब्सिडी समाप्त कर दिए जाने की वजह से ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया धीमी हुई है। वहां ऐसे वंचित तबकों की बिजली तक पहुंच समाप्त हो गई है जिन्हें अपनी खेतिहर उपज बढ़ाने के लिए बिजली की जरूरत थी। इन कार्यक्रमों में गरीबों से कभी सलाह नहीं ली गई, उनकी जरूरतों पर कभी विचार नहीं किया गया। ये सब कुछ तब हुआ है जबकि बैंक गरीबी उन्मूलन को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बताता रहा है।

* विश्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सुधार के रास्ते पर चलने वाले 6 राज्यों (उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान) में से खुद विश्व बैंक के आकलन के हिसाब से केवल दो राज्य ही संतोषजनक स्थिति में रहे हैं। इनमें से भी आंध्र प्रदेश ने उड़ीसा की विफलताओं तथा कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुए भारी आंदोलनों के कारण अंततः विश्व बैंक की कई शर्तों को खारिज कर दिया था।

* उड़ीसा विद्युत सुधार परियोजना की रूपरेखा तय करने के लिए बाहरी सलाहकारों को तीन अरब रुपए का भुगतान किया गया था। इसके बावजूद विश्व बैंक ने इस विफलता के लिए पूरी तरह उड़ीसा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पता चलता है कि विश्व बैंक जवाबदेही लेने से किस कदर कतराता है।

* उड़ीसा में विद्युत सुधार लागू करने से पहले सार्वजनिक बहस या जनता की हिस्सेदारी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। अफरा-तफरी में लागू की गई यह परियोजना पहले से तय की जा चुकी नीतियों पर सहमति बनाने के इरादों पर आधारित थी।

आरोप 10 : विश्व बैंक जल सुधारों एवं निजीकरण कार्यक्रमों ने मूलभूत अधिकारों को भी एक बाजारी वस्तु में तब्दील कर दिया है।

जलापूर्ति निजीकरण से संबंधित विश्व बैंक परियोजनाएं गरीबों के जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो रही हैं। बंगलौर, मुंबई, भोपाल और दिल्ली से आए सामुदायिक प्रतिनिधियों के बयानों से संकेत मिलता है कि शहरी एवं अन्य जल संसाधनों का सार्वभौमिक वितरण सुनिश्चित करने की बजाय इन संसाधनों के निजीकरण, व्यवसायीकरण एवं वस्तुकरण की वजह से लोग इस मूलभूत जरूरत से वंचित होते जा रहे हैं जबकि विश्व बैंक की निर्मम बाजारीकरण नीतियों से निजी कंपनियों को बेहिसाब मुनाफा हो रहा है।

* कर्नाटक में बेलगाम, गुलबर्ग, हुबली और धारवाड़ आदि शहरों की जलापूर्ति एवं रख-रखाव का काम दुनिया की सबसे बड़ी निजी जल कंपनी वियोलिया को सौंप दिया गया है। विश्व बैंक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत लिए गए इस फैसले में यह कंपनी न तो भूमिगत पानी की कीमत चुकाती है और न ही उसने कोई प्रारंभिक निवेश किया है। हैरत की बात है कि ये कंपनी सिर्फ मुनाफा कमा रही है!

* विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ग्रेटर बंगलौर जल एवं स्वच्छता परियोजना में एक भी गरीब हितैषी नीति नहीं है जबकि इस इलाके में 50 प्रतिशत लोग शहरी गरीब हैं।

* विश्व बैंक ने ये साबित करने के लिए 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए कि लोग पानी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को राजी हैं। यह पैसा जागरूकता, शिक्षा और संचार के मद में मुख्य रूप से कंसल्टेंट्स को अदा किया

गया था ताकि वे बंगलौर के झुग्गीवासियों को इस बात के लिए राजी कर सकें कि उन्हें भी पानी की कीमत चुकानी चाहिए।

* बंगलौर के सबसे गरीब लोग मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था से कटते जा रहे हैं। वहां की पूरी जलापूर्ति व्यवस्था मीटर से जोड़ दी गई है और अब तक 3,500 सार्वजनिक नलकों को बंद किया जा चुका है।

* दिल्ली सरकार के कुछ आला अफसरों के साथ मिलकर दिल्ली की जलापूर्ति के निजीकरण की योजना में विश्व बैंक ने भारी भ्रष्टाचार का सहारा लिया और सार्वजनिक निगरानी से पूरी तरह बच गया।

* प्रभावितों के बयानों से पता चलता है कि अगर दिल्ली जल निजीकरण योजना लागू होती तो यहां पानी की कीमत लगभग 6 गुना बढ़ जाती, निजी कंपनियों को दी जाने वाली प्रबंधकीय फीस के कारण रख-रखाव लागत में इजाफा होता और गरीबों के लिए निःशुल्क या सब्सिडी आधारित पानी समाप्त हो जाता।

* अचंभे की बात है कि विद्युत क्षेत्र में नाकामी के तमाम दस्तावेजी सबूत आ जाने के बावजूद विश्व बैंक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जल क्षेत्रों में अपने कर्जों से इसी तरह के सुधार पैकेज को दोबारा लागू करने जा रहा है।

* मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे विश्व बैंक जल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था का निजीकरण लगभग तय हो चुका है। इसके कारण सिंचाई लागतों में लगभग 20 प्रतिशत का इजाफा पहले ही हो चुका है।

* मुंबई की जलापूर्ति व्यवस्था के निजीकरण की योजना को सही साबित करने के लिए विश्व बैंक ने प्रायोगिक स्तर पर केईस्ट वॉर्ड को चुना है जबकि यह मुंबई का सबसे कुशल और मुनाफे में चलने वाला वॉर्ड था।

आरोप 11 : विश्व बैंक ने प्रारंभिक शिक्षा तंत्र को चोट पहुंचाई है।

विश्व बैंक की नीतियों और परियोजनाओं के जरिए आठ साल की प्रारंभिक शिक्षा के संवैधानिक अधिकार पर हमला किया जा रहा है।

* जीडीपी प्रतिशत के लिहाज से समूचे शिक्षा क्षेत्र पर होने वाला सरकारी व्यय (जिसका लगभग आधा हिस्सा प्रारंभिक शिक्षा में जाना था) 1990 से प्रायः गिरता जा रहा है। वर्ष 1999-2001 की दो वर्षीय अवधि को छोड़ दिया जाए तो यह रुझान लगातार नीचे की तरफ जाता रहा है। ऐसी स्थिति तब है जबकि संप्रग सरकार ने 2 प्रतिशत शिक्षा अधिभार वसूल किया है और सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए एक तिहाई पैसा विश्व बैंक सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से आ रहा है।

* विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) तथा एसएसए में गरीब बच्चों को पांच साल या उससे कम प्राथमिक शिक्षा देने का लक्ष्य तय किया गया है जबकि संविधान में आठ साल की शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

* बैंक द्वारा वित्तपोषित डीपीईपी और एसएसए कार्यक्रमों में घटिया स्तर के समानांतर और अनौपचारिक स्कूल खोले गए हैं। बैंक ने एकाधिक कक्षा शिक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इस व्यवस्था में एक ही शिक्षक एक साथ एक ही कमरे में पांच कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाता/पढ़ाती है। इन कार्यक्रमों में अल्पकालिक अनुबंधों पर नियुक्त किए जाने वाले अकुशल और अप्रशिक्षित उप-शिक्षकों की नियुक्ति का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे शिक्षकों को बहुत मामूली पारिश्रमिक दिया जा रहा है। यह गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) के तहत संसद द्वारा स्वीकृत मानकों को कमजोर करती हैं।

* ये कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षाओं में ड्रॉपआउट की भारी समस्या पर उल्लेखनीय अंकुश लगाने में नाकामयाब रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे अभी भी कक्षा 8 तक पहुंचते-पहुंचते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के मामले में तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 57 प्रतिशत और 66 प्रतिशत तक रही है। हालिया जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि 5-9 साल की उम्र के 43.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।

* विश्व बैंक के हिसाब से अब केवल ऐसे बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई जारी रख सकते हैं जिनके परिवार शिक्षा की कीमत अदा करने में सक्षम हैं। बाकी बच्चों के लिए केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे विकल्प रखे गए हैं।

आरोप 12 : विश्व बैंक स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने भारतीय गरीबों के साथ विश्वासघात किया है।

हमारे देश में सत्तर के दशक से ही स्वास्थ्य नियोजन को एक सामाजिक जिम्मेदारी की नजर से देखा जाता रहा है। विश्व बैंक ने इस समझदारी पर सुनियोजित ढंग से हमले बोले हैं। विश्व बैंक के मार्गदर्शन में भारत सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य व्यवस्था के स्थान पर लक्ष्य केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था और टीकाकरण के सीमित उद्देश्यों पर सिमटती जा रही है। अभी तक भारतीय समाज और राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सामाजिक न्याय और विकास का एक आवश्यक अंग मानता था परंतु अब लक्ष्य केंद्रित चिकित्सकीय हस्तक्षेपों पर जोर दिया जा रहा है और उसमें भी लागत वसूली को मूल सिद्धांत मान लिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की इस संकुचित दृष्टि ने समूची स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिकांश भारतीय नागरिकों के लिए असंभव बना दिया है। क्योंकि गरीब और कमजोर तबकों के लोग सस्ती दर पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते इसलिए वे समय पर इलाज नहीं करा पाते और गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इससे वे और गरीब होते जाते हैं।

* विश्व बैंक स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं (एचएसडीपी) ने सभी द्वितीयक एवं तृतीयक अस्पतालों में उपभोग शुल्क का सिद्धांत लागू कर दिया है। इन परियोजनाओं ने शुल्क आधारित बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है और बहिर्रोगी (आउटपेशेंट - ओपीडी) सेवाओं के लिए उपभोग शुल्क बढ़ा दिया है।

* एचएसडीपी का मकसद सरकारी बजट में स्वास्थ्य पर होने वाले आनुपातिक आवंटन को बनाए रखना था परंतु 6 एचएसडीपी परियोजनाओं को देखें तो पता चलता है कि राज्य बजट में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 5 प्रतिशत से नीचे ही रहा है और ज्यादातर राज्यों में यह घटता जा रहा है। कर्नाटक में यह व्यय 6 प्रतिशत से गिरकर 4.3 प्रतिशत और पंजाब में 6 प्रतिशत से गिरकर 3.8 प्रतिशत रह गया है जबकि इन राज्यों में उपभोग शुल्क के जरिए होने वाली आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है।

* विश्व बैंक की 6 राज्यव्यापी एचएसडीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन सभी परियोजनाओं में विश्व बैंक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता या समानता जैसे घोषित या अघोषित संकेतकों के बारे में कोई जानकारियां नहीं जुटा पाया। लिहाजा, इन परियोजनाओं के परिणामों और फायदों के बारे में पता लगाने की कोई व्यवस्थित विधि हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, पंजाब और कर्नाटक में इन-पेशेंट या आउट-पेशेंट रोगियों में गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति रोगियों के अनुपात के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी गई है जबकि ये तबके इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य थे। जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनमें भी न तो ये बताया गया है कि आंकड़े कैसे इकट्ठा किए गए और न ही उनकी अवधि और नमूनों के बारे में कोई जानकारी दी गई है। इतने बड़े पैमाने की परियोजनाओं में पारदर्शिता का इतना भारी अभाव कल्पना से परे है।

* पश्चिम बंगाल में उपभोग शुल्क से छुटकारा पाने की प्रक्रिया तकरीबन सभी गरीब रोगियों के लिए दिनोंदिन जटिल और पहुंच से बाहर होती जा रही है। लिहाजा, गरीब जनता स्वास्थ्य सेवाओं से कटने लगी है।

* सुरक्षा प्रावधानों के बारे में तमाम दावों के बावजूद विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम एकल बीमारी परियोजना (एचआईवी/एड्स) पर केंद्रित हैं। देश भर में सारे रोग नियंत्रण कार्यक्रमों पर होने वाले कुल व्यय में से लगभग 70-80 प्रतिशत एचआईवी/एड्स पर ही खर्च हो रहा है। फलस्वरूप, टीबी और मलेरिया जैसी

दूसरी गंभीर बीमारियों की उपेक्षा बढ़ती जा रही है।

भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन

आरोप 13 : विश्व बैंक शहरी विकास कार्यक्रमों से डेवलेपर्स को फायदा हुआ है जबकि इसकी लागत शहरी गरीबों और पर्यावरण को चुकानी पड़ती है।

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित शहरी पुनर्विकास योजना - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएन) - 63 से ज्यादा भारतीय शहरों को पूंजी सघन एवं ऊर्जा सघन पद्धतियों के अनुसार पुनर्गठित करने के लिए शुरू की गई है। यह परियोजना एनालिटिकल एडवाइजरी असिस्टेंस (एएए) के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा दिए गए नीतिगत सुझावों पर आधारित है। यह परियोजना विशाल शहरी भूभागों को निजी क्षेत्र के हवाले करने और शहरों के ढांचागत समायोजन का माहौल तैयार करने की एक सुनियोजित कोशिश है। मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और हैदराबाद के प्रभावित समुदायों से आए लोगों ने इस परियोजना के नकारात्मक प्रभावों का बहुत मार्मिक चित्रण किया।

* विश्व बैंक के शहरी विकास कार्यक्रम में सरकारों के ऊपर ऐसी शर्तें थोप दी जाती हैं जिनसे केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी उद्योगों को मुनाफा मिलता है। शहरी हदबंदी कानून को समाप्त करना और स्टाम्प ड्यूटी कम करना भी इन शर्तों में शामिल है।

* गरीब हितैषी बयानबाजी के बावजूद जेएनएनयूआरएम तथा पिछली विश्व बैंक शहरी विकास परियोजनाओं के तहत शहरों में लाखों लोगों को उजाड़ा जा चुका है। उन्हें या तो पुनर्वास दिया ही नहीं गया है या बेहद नारकीय पुनर्वास दिया गया है।

* मौजूदा तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना और जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अंतर्गत अकेले चेन्नई में 3,50,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा।

आरोप 14 : विश्व बैंक कोयला खनन परियोजनाओं ने भारत के जनजातीय समुदायों को भयानक नुकसान पहुंचाया है।

झारखंड में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परेज ईस्ट कोयला खनन परियोजना की वजह से लगभग 2,000 लोगों की जमीन छीनी जा चुकी है और उनकी आजीविका के सारे साधन समाप्त हो गए हैं। झारखंड में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। हालांकि 2003 में विश्व बैंक के निरीक्षण पैनल ने भी पाया था कि पुनर्वास प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और उसमें भारी अनियमितताएं हैं लेकिन फिर भी परेज ईस्ट के लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अपनी परियोजनाओं के कारण विस्थापित और तबाह हो चुके लोगों को मुआवजा देने में विश्व बैंक पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

आरोप 15 : विश्व बैंक का सुनामी राहत कार्यक्रम कीमती जमीन पर कब्जे का साधन साबित हो रहे हैं।

विश्व बैंक निजी क्षेत्र के लिए दलाल की भूमिका निभा रहा है। विश्व बैंक ने इस काम के लिए 2004 में आए सुनामी के पीड़ितों को भी नहीं बख्शा। इस आपदा के बाद विश्व बैंक द्वारा चलाए गए राहत कार्यों में बहुत सारे लोगों को उनकी कीमती जमीनों से विस्थापित कर दिया गया है। इसी दौरान मछुवाही क्षेत्र के निजीकरण के लिए भी माहौल बनाया जा रहा था। विश्व बैंक की इन कारगुजारियों से बहुत सारे छोटे मछुआरों और काश्तकारों की रोजी-रोटी छिन चुकी है। विश्व बैंक की आपातकालिक सुनामी राहत परियोजना मौजूदा विश्व बैंक तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना के साथ लागू की जा रही है। इन दोनों योजनाओं के तहत तटीय जमीन को निजी डेवलपर्स के हाथों में सौंपा जा रहा है। इन परियोजनाओं की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग विस्थापित और तबाह हो रहे हैं।

* इन परियोजनाओं के असर चेन्नई और तिरुवल्लूर के शहरी व अर्धशहरी जिलों में सबसे भयानक हैं क्योंकि वहां रीयल एस्टेट की कीमत बहुत ज्यादा है।

* इन जिलों में 7,432 परिवारों को पहले ही हटाया जा चुका है। आने वाले समय में 29,909 परिवार और हटा दिए जाएंगे। इनमें से बहुत सारे परिवार दलित, अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदायों के हैं।

* इन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोग भयानक गरीबी में जी रहे हैं। उनके पास शिक्षा और आवास जैसी बहुत सीमित सुविधाएं हैं। वहां साफ-सफाई का कोई इंतजाम नहीं है।

* इन समुदायों की महिलाओं का सबसे बुरा हाल हुआ है। जिंदा रहने के लिए बहुत सारी महिलाएं न केवल अपने बाल और अंग बेच रही हैं बल्कि अनेक महिलाएं वेश्यावृति की दलदल में फंस चुकी हैं।

आरोप 16 : विश्व बैंक ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सलाह-मशविरा किए बिना आर्थिक पर्यटन के नाम पर हजारों लोगों को उजाड़ दिया है।

भारत पर्यावरण विकास परियोजना (1995) को देखकर साफ पता चलता है कि विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के कारण हजारों लोगों को जबरन उनकी परंपरागत वन भूमि से उजाड़ कर उनकी जमीनों को निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। समय की मांग है कि अगर पर्यावरण पर्यटन परियोजनाओं को लागू किया जाए तो सबसे पहले जंगलों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही लोगों को जमीन के बदले जमीन के उसूल पर पुनर्वास दिया जाना चाहिए और इसके लिए संबंधित समुदायों की पहले से सहमति ली जानी चाहिए। विश्व बैंक ने न तो इन पर्यटन कार्यक्रमों के निर्धारण में आदिवासियों या अन्य ग्राम समुदायों से सलाह-मशविरा किया है और न ही उसने पर्यावरण की सुरक्षा तथा विस्थापितों के पुनर्वास की योजनाएं बनाई हैं।

* पर्यावरण विकास परियोजनाओं से देश के 7 राष्ट्रीय अभयारण्यों (बक्सा, पेंच, रणथंभौर, पेरियार, नगरहोल, पलामू और गिर) में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इतना ही नहीं, इन परियोजनाओं के बावजूद जंगलों की सुरक्षा का मकसद पूरा नहीं हो पाया है।

पर्यावरण

आरोप 17 : विश्व बैंक की कार्बन ट्रेडिंग पद्धति से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आधार पर एक परजीवी निजी बाजार पैदा हो गया है जो इन गैसों की रोकथाम के लिए वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है।

विश्व बैंक ने प्रोटोटाइप कार्बन फंड के जरिए वर्ष 2000 में कार्बन क्रेडिट्स (कार्बन ऋण) की रूपरेखा तैयार की थी। ज्यूरी के सामने आए वक्तव्यों से पता चलता है कि नए कार्बन कोशों की स्थापना तथा नए आर्थिक कार्बन ट्रेडिंग समझौतों के जरिए संदेहास्पद व्यापारिक लेन-देन को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही विश्व बैंक समूह ने भारत तथा अन्य देशों में विशाल कोयलाचालित बिजली घरों के लिए कर्ज और बढ़ा दिए हैं। बैंक द्वारा दिए गए पोर्टफोलियो फाइनेंस की वजह से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इजाफा हुआ है लेकिन फिर भी विश्व बैंक समूह वायुमंडलीय परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए सरकार केंद्रित और बाजारोन्मुखी समाधानों पर ही अड़ा हुआ है। मौजूदा हालात में बैंक की कार्बन ट्रेडिंग पद्धति वायुमंडलीय परिवर्तन प्रदूषण के लिए 'ऋण' को उत्तर से दक्षिण की ओर धकेलने पर केन्द्रित है जबकि इस प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया जा रहा है।

* भारत में विश्व बैंक बायोकार्बन फंड के जरिए "इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन" परियोजना को बढ़ावा दे रहा है। सच्चाई यह है कि कार्बन राजस्व और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की समाप्ति के जरिए गरीबी उन्मूलन के नाम पर विश्व बैंक का यह कार्यक्रम कागज उद्योग के हित साधने के लिए एकल प्रजाति वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है जबकि उन चरागाहों को नष्ट किया जा रहा है जिन पर स्थानीय समुदायों का

जीवन आश्रित था।

आरोप 18 : बड़े व्यावसायिक घरानों के ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए विश्व बैंक ने भारतीय पर्यावरण कानूनों और नीतियों को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और तटीय क्षेत्र नियमन संशोधनों को तय करने में विश्व बैंक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व बैंक ने भारत को 'क्षतिहीन पद्धति' की बजाय 'प्रदूषक ही भुगतान करे' पद्धति की ओर पहुंचाकर मौजूदा मानकों को और कमजोर कर दिया है। भुक्तभोगियों के बयानों से पता चलता है कि ईआईए की प्रक्रिया के तहत जनसुनवाई के अधिकार को खत्म करवाने में बैंक का दवाब बहुत निर्णायक साबित हुआ है। यह अधिकार छिन जाने से प्रभावित समुदाय एवं देशी जनता और शक्तिहीन हो गई है जबकि इन परियोजनाओं से उनकी विरासत और आजीविका छिन-भिन्न होती जा रही है। विश्व बैंक पर्यावरण नीति परामर्श इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों को अपने मुनाफे के लिए प्राकृतिक संसाधनों और जमीन पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण मिले जबकि जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों को विस्थापन से बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

आरोप 19 : विश्व बैंक की भारतीय परियोजनाओं में विषैले पदार्थों और घिसी-पिटी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

बैंक ने जानबूझकर ऐसी परियोजनाओं में पैसा लगाया है जिनके जरिए पुरानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीक भारत में भेजी जा रही है। इन परियोजनाओं के तहत कई तरह के उवर्रक, कीटनाशक और कचरा उपचार सुविधाएं भारत में आ चुकी हैं। प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि मलेरिया नियंत्रण परियोजना में विषैले कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया जबकि इस काम के लिए गैर-विषैले विकल्प भी मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना के तहत होने वाला 51 प्रतिशत व्यय कीटनाशकों की खरीद के नाम पर सीधे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जेब में जा रहा था। एक सूचना अधिकार अर्जी के माध्यम से पता चला है कि सिथेंटिक पैराथ्रॉइड नामक तीसरी पीढ़ी का मच्छर-मार रसायन खरीदने के लिए विशाल रसायन कंपनियों को 4.3 अरब रुपए का भुगतान किया गया था। इसी तरह के नतीजे कृषि क्षेत्र में भी सामने आए हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साक्ष्य और वैज्ञानिक अध्ययन मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि ये कीटनाशक कितने विषैले हैं और उनसे जनता के स्वास्थ्य को कितना खतरा है। इन तकनीकों को पश्चिम में सालों पहले खारिज किया जा चुका है परंतु विश्व बैंक कार्यक्रमों के तहत भारत में इन्हें तैयार बाजार मिल गया है।

ज्ञान उत्पादन

आरोप 20 : विश्व बैंक पूर्वनिर्धारित आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए पक्षपातपूर्ण ज्ञान पैदा कर रहा है।

स्वास्थ्य, कृषि, जल, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़ी केस स्टडीज को देखकर पता चलता है कि विश्व बैंक ने अपने संसाधन एक ऐसे ज्ञान की रचना के लिए झोंक दिए हैं जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के एजेंडा को पुष्ट करता है। इस ट्राइब्यूनल के सामने पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि विभिन्न रिपोर्टों में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है और ऐसे तथ्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है जिनसे बड़े बांधों और पानी के निजीकरण की योजनाओं को समर्थन मिलता है। प्रभावितों के बयानों से यह भी साबित हो गया है कि विश्व बैंक द्वारा जारी की जा रही जानकारियां स्थानीय समाज और स्थानीय ज्ञान की उपेक्षा करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सलाहाकारों को अरबों रुपए का भुगतान करती हैं। बैंक की भारत स्थित विश्लेषण एवं परामर्श गतिविधियों के नाम पर मिले दो उदाहरणों से पता चलता है कि यहां बैंक की सूचना उत्पादन प्रक्रिया कितनी विकृत और पक्षपातपूर्ण है।

* भारत सरकार को जल अधिकारों के वस्तुकरण की अपनी अवधारणा सुझाते हुए विश्व बैंक ने खुद अपने

उन अनुसंधानों के नतीजों को सामने नहीं रखा जिनमें ऐसी परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभावों का कच्चा चिट्ठा था। विश्व बैंक ने भारतीय जल क्षेत्र समीक्षा नामक अपनी रिपोर्ट (1998) में पानी के निजीकरण के प्रयोगों में मिले अपने विस्तृत अनुभवों का हवाला तो दिया मगर ये नहीं बताया कि चिली में इस तरह के प्रयोगों से कितनी भारी उथल-पुथल पैदा हुई है।

* 2005 के रणनीति पत्र, "भारत की जल अर्थव्यवस्था : उथल-पुथल भरे भविष्य की तैयारी" में विश्व बैंक ने भारत स्थित भाखड़ा बांध के बारे में बैंक द्वारा कराए गए एक अप्रकाशित अध्ययन के हवाले से तर्क दिया कि विशाल बांधों का बड़ी संख्या में निर्माण किया जाना चाहिए। यह अध्ययन अभी भी कहीं उपलब्ध नहीं है। भारतीय नीति निर्माताओं से उम्मीद की जाती है कि बैंक के इन दावों को वे चुपचाप मान लें और कथित रूप से विश्व बैंक के पास मौजूद जानकारियों के बारे में सवाल न पूछें।

अभिशासन

आरोप 21 : भारतीय नौकरशाही में अहम पदों पर अपने वर्तमान और निवर्तमान कर्मचारियों को बिठा कर विश्व बैंक भारतीय नीतियों को गहरे तौर पर प्रभावित कर रहा है।

यह साबित करने के लिए विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं कि किस तरह विश्व बैंक के भूतपूर्व कर्मचारी भारतीय वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और योजना आयोग के अहम पदों पर पहुंचे हुए हैं। पिछले कुछ दशकों से चल रहा यह सिलसिला नब्बे के दशक में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। विश्व बैंक विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी नीति निर्माताओं को भारी-भरकम कंसल्टेंसी फीस और तोहफे देता रहता है। इससे सरकारी नीति निर्माताओं के भीतर गंभीर द्वंद्व पैदा होना स्वाभाविक है। फलस्वरूप, वे ऐसे फैसले नहीं ले पाते जो विश्व बैंक की आर्थिक समझ के विपरीत होते हैं। यह व्यवस्था नीति निर्माताओं के लिए विश्व बैंक के साथ भावी अनुबंधों और रोजगारों का रास्ता खोल देती है। विश्व बैंक ने भारतीय नीति निर्धारकों को बहुत एहतियात से पाला-पोसा है और आज ये लोग भारत की जनता से ज्यादा इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रति ऋणी महसूस कर रहे हैं।

आरोप 22 : विश्व बैंक की शर्तें भारत की आर्थिक संप्रभुता का अतिक्रमण हैं। इस अधिकार को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् भी मान्यता दे चुकी है।

विश्व बैंक ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता के नाम पर किसी भी तरह की सजा से बचने का अधिकार मांगा है। परंतु जैसा कि सुविदित है, विश्व बैंक ने भारत को जो कर्जे दिए हैं वे बुनियादी आर्थिक सुधारों की शर्तों से बंधे हुए हैं और यह बात संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा राष्ट्रीय आर्थिक अधिकार एवं दायित्व चार्टर के प्रावधानों के खिलाफ है। नीति निर्धारकों की मदद से विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक संप्रभुता को चोट पहुंचाने के लिए बहुत कठोर और बाध्यकारी आर्थिक सुधार थोपे हैं। उदाहरण के लिए --

* भारत को दिए गए 1991 के ढांचागत समायोजन ऋण के बदले में भारत को अपनी औद्योगिक नीति, आयात-निर्यात नीति और विदेशी निवेश नियमन नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर कर दिया था।

* कर्नाटक आर्थिक पुनर्गठन ऋण-1 और 2 में प्रावधान किया गया था कि कर्नाटक में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी तथा अन्य सार्वजनिक व्यय बंद किए जाएं, सरकारी रोजगारों में कटौती की जाए, पेंशन तथा वेतन संरचना में बढ़ते फासलों को कम किया जाए तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश किया जाए।

* आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण-1 में राजकोषीय बजट सुधार, सरकारी व्यय में कटौती, वित्तीय प्रबंधन सुधार और अभिशासन एवं नियमन सुधारों की शर्त रखी गई थी। ये सुधार निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाले थे।

आरोप 23 : विश्व बैंक के 'उत्तम अभिशासन' एजेंडा ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बजाय भारतीय राज्य की संप्रभुता को ठेस पहुंचाई है।

विश्व बैंक द्वारा दिए गए 'उत्तम अभिशासन' ऋणों की आड़ में उसे नीति क्रियान्वयन की पिछली खामियों को दूर करने के नाम पर भारत सरकार के ऊपर अपनी शर्तें थोपने का एक और मौका मिल गया है। इन सारी कमजोरियों के लिए विश्व बैंक हमारे देश की खराब अभिशासन संरचना को तो जिम्मेदार ठहराता है मगर अपनी विफलताओं पर कभी ध्यान नहीं देता। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विभिन्न परियोजनाओं में उसने जो कर्जे दिए हैं वे सचमुच घोषित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो पा रहे हैं या नहीं। भ्रष्टाचार, संसाधनों का विकृत आवंटन और निजी क्षेत्र के साथ गंभीर जुड़ावों की आड़ में उसने शासन संस्थानों को आमूल रूप से बदल डाला है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अनुभवों में बजट प्रक्रिया में 'सुधार' सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती, स्वास्थ्य एवं जन सेवाओं के विकेंद्रीकरण और यहां तक कि कानूनों में बदलाव के उदाहरण भी शामिल हैं।

आरोप 24 : विश्व बैंक ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया है।

संसद, अन्य निर्वाचित संस्थानों और सार्वजनिक बहस को नजरअंदाज करके विश्व बैंक ने विभिन्न शासन संस्थानों के स्तर पर जो हस्तक्षेप किए हैं उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरा धक्का लगा है। विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों और अनुभवों से पता चलता है कि विश्व बैंक ने प्रांतीय, नगरपालिका एवं पंचायत स्तरीय सत्ता को जान-बूझकर कमजोर किया है।

* केंद्र सरकार को विश्व बैंक से मिलने वाले ऋणों में प्रायः संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

* विश्व बैंक के दस्तावेजों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसने भारत के तटीय भू-भागों के प्रबंधन और वैधानिक स्थिति को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। विश्व बैंक ने संसद की सहमति तो दूर की बात रही, उसे बताए बिना यह बदलाव ला दिए हैं।

* विश्व बैंक कार्यक्रमों की वजह से राज्य सरकारों को मजबूरन भूमि और कर सुधार कार्यक्रम लागू करने पड़े जबकि इन कार्यक्रमों के बारे में जनता को कतई विश्वास में नहीं लिया गया था।

* विश्व बैंक ने सामुदायिक स्तर पर जल एवं सूक्ष्म वित्त बाजारों को खोलने के लिए गैर सरकारी संगठनों को पैदा कर दिया है। आंध्र प्रदेश में इन जल प्रयोक्ता संगठनों पर संपन्न भूस्वामियों और सवर्णों का कब्जा है जबकि वहां लोकतांत्रिक कार्य-प्रणाली को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों के सामने भी इसी तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं।

इन कार्यक्रमों से पता चलता है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और पंचायतों तक विश्व बैंक और उसके निजी क्षेत्र समर्थक निर्णय प्रक्रिया पर किस कदर छाए हुए हैं। जब स्थिति कठिन दिखाई देती है पंचायत या स्थानीय स्वशासन निकायों द्वारा लिए गए फैसलों को सीधे-सीधे हाशिए पर रख दिया जाता है।

आरोप 25 : खालिस सरकार के आचरण पर केंद्रित विश्व बैंक के तथाकथित 'उत्तम अभिशासन' कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को न केवल पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है बल्कि विनियमन नीतियों के जरिए उसे खुलकर बढ़ावा दिया गया है।

आंकड़ों से साफ पता चलता है कि हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था कितनी फैल चुकी है। निजी क्षेत्र की बेशर्म हिमायत करते हुए विश्व बैंक ने इस भ्रष्टाचार को और पंख लगा दिए हैं। ये साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं हैं कि निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के मुकाबले कम भ्रष्ट है लेकिन विश्व बैंक ने इन सारे मुद्दों पर पूरी तरह आंख मूंद ली है और काले धन को जमकर बढ़ावा दे रहा है। निजी क्षेत्र के विनियमन, केंद्र सरकार के व्यय में कटौती तथा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती से निजी क्षेत्र, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच होने वाले भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिला है।

आरोप 26 : 'उत्तम अभिशासन' के अपने नारे को झुठलाते हुए विश्व बैंक खुद ही चोरी-छिपे ढंग से काम कर रहा है।

विश्व बैंक एक बेहद गोपनीयता अपनाने वाला संस्थान है। उसकी स्वघोषणा (डिस्क्लोजर) नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों से नीचे है और भारत के सूचना अधिकार अभियान से भी कमजोर है। विश्व बैंक किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं है। उसकी अपनी शिकायत प्रक्रिया बार-बार अपर्याप्त साबित हुई है और विफल नीतियों एवं विनाशकारी परियोजनाओं को दुरुस्त करने में विफल रही है। झारखंड और हिमाचल प्रदेश के अनुभवों से पता चलता है कि विश्व बैंक के कामकाज पर अंकुश रखने के लिए निरीक्षण पैनल, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के अनुपालन सलाहकार संवीक्षक (सीएओ) से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।

* विश्व बैंक ने अपनी स्वघोषणा नीति की सीमाओं का हवाला देते हुए दिल्ली जल निजीकरण परियोजना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। भारतीय कानून के तहत ये दस्तावेज उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि पारदर्शिता और स्वघोषणा के मामले में बैंक की सोच कितनी संकुचित और प्रतिगामी है।

* इसी तरह की समस्याएं झारखंड में निरीक्षण पैनल के सामने दिखाई दीं। वहां भी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और ऐलेन डुहागंन (हाइड्रो पावर) परियोजना के प्रभावितों को भीषण सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षतियों के लिए आईएफसी के सीएओ कार्यालय की तरफ से कोई पुनर्वास या राहत नहीं मिली है।

नकारात्मक सकल हस्तातंरण

आरोप 27 : बहुत सालों से भारत विश्व बैंक को धन देता आ रहा है। सच यह है कि विश्व बैंक और भारत के बीच धन का प्रवाह विश्व बैंक के पक्ष में है।

विश्व बैंक से भारत को मिला कुल पैसा भारत से विश्व बैंक को मिले पैसे से कम रहा है। वर्ष 1996-2002 के बीच विश्व बैंक से भारत को मिला पैसा भारत से विश्व बैंक को मिले पैसे से ज्यादा था क्योंकि अकेले 2001 में ही भारत को 34 करोड़ डॉलर की सहायता मिली थी। वर्ष 2002 में भारत ने बैंक से मिली राशि के मुकाबले 2.4 अरब डॉलर ज्यादा राशि बैंक को चुकाई थी। इस तरह, परियोजनाओं की विफलता, नौकरियों के खात्मे और जमीन की तबाही, निजी क्षेत्र की निरकुंशता, और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के विनाश के साथ-साथ बैंक भारत के साथ मुनाफा बनाने में भी कामयाब रहा है। आज भी भारतीय जनता लगातार उसे पैसा दे रही है। सवाल ये है कि जो संस्था गरीब देशों की गरीब जनता के कल्याण का दावा कर रही है वह कम पैसा देकर ज्यादा पैसा कैसे ले जा सकती है?

विश्व बैंक का आर्थिक दर्शन : दावे बनाम हकीकत

आरोप 28 : विश्व बैंक की गतिविधियां ठोस एवं समतापरक सामाजिक बदलाव के लिए चलने वाले जनांदोलनों को कमजोर करती हैं।

विश्व बैंक ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह सार्वजनिक निंदा की परवाह नहीं करता। विश्व बैंक में आंतरिक सुधारों की कोई क्षमता नहीं बची है। विश्व बैंक के कार्यक्रमों से तबाह होने वाले समुदायों के विरोध और कष्टों को उसने बार-बार नजरअंदाज किया है। स्वशासन में अपनी विफलताओं के अलावा साझीदारों के चुनाव, आलोचनाओं की उपेक्षा, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की समाप्ति और निजीकरण को सबसे निचले स्तरों तक फैला देने की उसकी हालिया कोशिशों से पता चलता है कि वह न्यायपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के लिए चलने वाले आंदोलनों को जानबूझकर कमजोर कर रहा है। यह संस्था आम नागरिकों, अधिकांश गरीबों के हित में नहीं बल्कि उनके खिलाफ खड़ी है जबकि उसकी अलंकारिक भाषा हमेशा गरीबों के हक में दिखाई देती है।

निष्कर्ष

इन साक्ष्यों के आधार पर हमारा मानना है कि विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित ज्यादातर परियोजनाएं अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा नहीं करतीं और न ही ये परियोजनाएं भारत के गरीबों के हित में हैं। बहुत सारे उदाहरणों में विश्व बैंक ने उन्हीं लोगों को भीषण और स्थायी नुकसान पहुंचाया है जिनकी सेवा का दावा विश्व बैंक करता रहा है। हमने जो बयान सुने हैं उनके आधार पर विश्व बैंक के इरादों और क्रियाकलापों की एक भयानक तस्वीर सामने आती है। यह संस्था उन लोगों की सेवा कर रही है जिनके पास पूंजी है। जो पहले ही कमजोर है उन्हें यह संस्था और ज्यादा कमजोर बना रही है। हमारा सुझाव है कि विश्व बैंक उन लोगों को मुआवजा दे जिनको अपनी नीतियों, परियोजनाओं और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा के जरिए उसने गहरा नुकसान पहुंचाया है। जब तक विश्व बैंक की गतिविधियों और नीतियों की स्वतंत्र निगरानी और ऑडिटिंग की कोई स्पष्ट एवं पारदर्शी व्यवस्था विकसित नहीं की जाती तब तक विश्व बैंक को भारत में अपना कामकाज बंद कर देना चाहिए।

इन बयानों और साक्ष्यों से एक रुझान उभरता हुआ दिखाई देता है। विश्व बैंक अकेले काम नहीं कर रहा है। उसने हमेशा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और शक्तिशाली राष्ट्रों के निजी निकायों के साथ मिल कर ही काम किया है। उसने एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया है जो इन ताकतों को बेहिसाब लाभ पहुंचाती है और उसकी कीमत हमेशा गरीबों को चुकानी पड़ती है।

भारत सरकार को भी हम ऐसे हालात पैदा कर देने के लिए बराबर का जिम्मेदार मानते हैं। इस विचार-विमर्श के दौरान ये बात साफ हो गई है कि अब भारतीय नीति निर्माताओं और विश्व बैंक की सोच में कोई फासला नहीं बचा है। हम भारत सरकार को इन हालात के लिए बराबर का जिम्मेदार मानते हैं और मांग करते हैं कि वह अपनी नीतियों को फौरन वापस ले।

अमित भादुड़ी

मेहर इंजीनियर

रामास्वामी आर. अय्यर*

अलेयांद्रो नदाल

ब्रूस रिच

अरुणा रॉय

अरुंधति रॉय

न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत

एस.के. शुक्ला

सुलक शिवरसका

न्यायमूर्ति एच. सुरेश

रोमिला थापर

न्यायमूर्ति के.के. उषा

*आगे दिया गया 'स्पष्टीकरण' देखें।

रामास्वामी आर. अय्यर का स्पष्टीकरण

मैं न तो विश्व बैंक का हिमायती हूं और न ही नवउदारवादी आर्थिक दर्शन में विश्वास रखता हूं। रिपोर्ट में व्यक्त किए गए इस निष्कर्ष से मुझे कोई एतराज नहीं है कि विभिन्न आर्थिक नीतियों एव कार्यक्रमों से देश की गरीब जनता पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। फिर भी, मैं इस रिपोर्ट को निम्नलिखित सुझावों के साथ ही स्वीकार करना चाहता हूं।

पहली बात, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि विश्व बैंक को बाहर निकालने की मांग कैसे उचित है। यह वैसा ही एक और बैंक है जैसे बैंक हमारे अपने देश में हैं। भारत ने भी इसके कोष में अपना योगदान दिया है। अगर हम मानते हैं कि यह बैंक अमेरिकी नियंत्रण में जा चुका है तो हमें विश्व बैंक को भगाने की बजाय उसके नियंत्रण की व्यवस्था में बदलाव के लिए संघर्ष करना चाहिए।

दूसरी बात, हम जिन नीतियों - सेज, उपजाऊ कृषि भूमि को किसानों से छीन लेना, विशाल भूखंडों को उद्योग जगत के हवाले कर देना, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली नीतियां, गरीबों को हाशिए पर धकेलनी वाली विकास नीतियां, गरीबों को उनके घर और आजीविका से वंचित कर देने वाली शहरी नवीनीकरण नीतियां, असंख्य लोगों को विस्थापित करने वाली बांध परियोजनाएं, सार्वजनिक सुविधाओं एवं जल राशियों का निजीकरण, घरेलू एवं विदेशी औद्योगिक/व्यावसायिक निवेश की हितपूर्ति के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस प्रक्रिया या तटीय क्षेत्र नीतियों में संशोधन आदि ऐसी नीतियां हैं जिनकी हम सभी आलोचना करते हैं लेकिन इन्हें केंद्र और राज्य स्तर की हमारी अपनी सरकारों ने ही बनाया है और इन सरकारों में पश्चिम बंगाल जैसी 'कम्युनिस्ट' सरकारें भी शामिल हैं। इन सरकारों ने जो नीतियां अपनाई हैं वे अनिवार्य रूप से केवल विश्व बैंक के दवाब का नतीजा नहीं हैं बल्कि इसकी वजह यह है कि ये सरकारें, बौद्धिक वर्ग, मीडिया तथा शिक्षा जगत के भी बहुत सारे लोग नवउदारवादी आर्थिक सोच के हिमायती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गंभीरता से मानते हैं कि हमारे सामने यही सही रास्ता है और उसका विरोध करने वाले गलत हैं। यह एक मुश्किल लड़ाई है मगर असली लड़ाई यही है।

मुझे मालूम है कि कई बहुत कमजोर देशों में ढांचागत समायोजन कार्यक्रम लागू करने के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ के कई भूतपूर्व अधिकारियों ने भी उनकी आलोचना की है क्योंकि इन कार्यक्रमों से तमाम तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। लेकिन भारत कोई कमजोर या छोटा-मोटा देश नहीं है जिसे विश्व बैंक या आईएमएफ जैसे चाहे हांक सकें। अगर भारत सरकार खास तरह की नीतियां अपनाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि विश्व बैंक के दवाब में ही ऐसा किया गया था। भारत सरकार को अपने फैसलों की खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

तीसरी बात, पूंजीवाद (और उसका नवउदारवादी स्वरूप) का आविष्कार विश्व बैंक ने नहीं किया था। यह आज की दुनिया का सबसे प्रभुत्वशाली आर्थिक दर्शन है। खाली अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन और रूस भी अब इसी दर्शन को अपना चुके हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये आज की दुनिया के सबसे प्रचलित नारे हैं। आज केवल विश्व बैंक को गाली देने से काम चलने वाला नहीं हैं, आज इस दर्शन को चुनौती देना जरूरी है।

मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि विश्व बैंक को सारे अपराधों से मुक्त कर दिया जाए। अगर वह अपने अधिकृत दर्शन को स्थापित करने में अपने जिम्मेदारियों की सीमा का उल्लंघन करता है और किसी सदस्य देश की बांह मरोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए। अगर विश्व बैंक के अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी सदस्य देश के अधिकारियों या राजनेताओं को धमकाते हैं तो उनकी भी आलोचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जल सेवाओं के निजीकरण के बारे में विश्व बैंक की एडवोकेसी अक्सर दवाब का रूप ले लेती है और उसका दिल्ली स्थिति कार्यालय निश्चित ही इस बात में गहरी दिलचस्पी रखता है कि प्राइस वॉटरहाउस कूपर को दिल्ली जल बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया जाए और उसकी जलापूर्ति गतिविधियों का पुनर्गठन किया जाए।

यह मान लेने में भी कोई हर्जा नहीं है कि 2000-01 में विश्व बैंक ने विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट को सबोटाज करने में अहम भूमिका अदा की थी। कहने का मतलब ये है कि केवल किसी सिफारिश या कुछ खास नीतियों या कुछ खास शर्तें सामने रखने के लिए विश्व बैंक पर इल्जाम नहीं लगा सकते। बल्कि हम उस पर इस बात के लिए आरोप लगा सकते हैं कि वह अपने 'मंसूबों' को पूरा करने के लिए बहुत दूर तक चला जाता है, बेहिसाब दवाब डालता है। रिपोर्ट में यह फर्क पर्याप्त रूप से उभरकर सामने नहीं आया है।

9 सितंबर 2008

ज्यूरी के सदस्यगण

अमित भादुड़ी

अर्थशास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर अमित भादुड़ी आर्थिक सिद्धांतों के बारे में दर्जन भर से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। फिलहाल वह पाबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं।

मेहर इंजीनियर

प्रोफेसर मेहर इंजीनियर सामाजिक कार्यकर्ता और भौतिकशास्त्री हैं। अभी वह वायुमंडलीय परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रो. इंजीनियर टीचर्स एंड साइंटिस्ट्स फोरम के सदस्य तथा बोस इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व निदेशक भी हैं।

रामास्वामी आर. अय्यर

भारत सरकार के सेवानिवृत्त जल संसाधन सचिव रामास्वामी आर. अय्यर 1987 में तैयार की गई भारत की पहली राष्ट्रीय जल नीति के सूत्रधार और मुख्य निर्माता थे। फिलहाल वे इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में मानद शोध प्रोफेसर हैं। उन्होंने जल नीति पर दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं।

अलेयांद्रो नदाल

सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफेसर अलेयांद्रो नदाल एल कॉलीजियो द मेक्सिको में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के संयोजक हैं। वे ला युरनादा के पत्रकार तथा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के सलाहाकार हैं।

ब्रूस रिच

ब्रूस रिच वॉशिंगटन डीसी में वकील हैं। उन्होंने विश्व बैंक के कामकाज के बारे में कांग्रेस के सामने कई सुनवाइयों में बयान दिये हैं। पर्यावरणीय उपलब्धियों के लिए उन्हें यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल 500 एवॉर्ड से नवाजा जा चुका है। वह "मोर्टगेजिंग दि अर्थ : दि वर्ल्ड बैंक, एन्वायर्नमेंटल इम्पॉवरिशमेंट एंड दि क्राइसिस आफ डेवलेपमेंट" (बेकन प्रेस, 1994) तथा "टू अपहोल्ड दि वर्ल्ड" (पेंगुइन इंडिया, 2008) नामक पुस्तकों के लेखक हैं।

अरुणा रॉय

सुश्री अरुणा रॉय प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वर्ष 2005 में भारतीय सूचना अधिकार अधिनियम को पारित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अरुणा रॉय 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन की सह-संस्थापक तथा सामूहिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकार के लिए मैगसायसाय अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं।

अरुंधति रॉय

उपन्यासकार एवं लेखिका अरुंधति रॉय बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। नर्मदा घाटी संघर्ष तथा विश्व इराक ट्राइब्यूनल में उनकी काफी हिस्सेदारी रही है। अपने पहले उपन्यास "दि गॉड ऑफ स्मॉल

थिंग्स" के लिए 1997 में उन्हें बूकर पुरस्कार मिला था। इसके बाद वे "एन ऑर्डिनेरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर" तथा अन्य निबंध संग्रह प्रकाशित कर चुकी हैं।

न्यायमूर्ति पी.बी. सांवत

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति पी बी सांवत 1995 से 2001 के बीच प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा 1996 से 2003 के बीच वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं।

एस.के. शुक्ला

भारत सरकार में वित्त सचिव रह चुके एस.के. शुक्ला गैट वार्ताओं में भारत के प्रतिनिधि थे। पेटेंट तथा डब्ल्यूटीओ/ट्रिप्स वार्ताओं के बारे में वह जाने-माने विशेषज्ञ हैं।

सुलक शिवरक्सा

"साथीरकोसेस -- नागप्रदीपा फाउंडेशन" नामक थाई एनजीओ के संस्थापक एवं निदेशक सुलक शिवरक्सा इंटरनैशनल नेटवर्क ऑफ एंगेज्ड बुद्धिस्ट्स के संस्थापकों में रहे हैं। उन्हें ऑल्टरनेटिव नॉबेल प्राइज़ (आजीविका अधिकार पुरस्कार) से सम्मानित किया जा चुका है।

न्यायामूर्ति एच. सुरेश

न्यायमूर्ति एच. सुरेश 1986 से 1991 के बीच बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने बंगलौर के कावेरी दंगों तथा 1993 के मुंबई दंगों सहित मानवाधिकार हनन की कई घटनाओं के बारे में बने जांच आयोगों का नेतृत्व किया है। उन्हें भारत के पीपुल्स ट्राइब्यूनल आंदोलन का अगुवा माना जाता है।

मुख्य न्यायाधीश के.के. उषा

सुश्री के.के. उषा केरल उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। वह उस खंडपीठ की सदस्य थीं जिसने हाल ही में उस याचिका को खारिज किया था जिसमें मांग की गई थी कि प्रेस को अदालती मामलों पर खबरें छापने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

रोमिला थापर

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास की एमेरिटस प्रोफेसर सुश्री रोमिला थापर 1983 में भारतीय इतिहास कांग्रेस की जनरल प्रेसीडेंट रह चुकी हैं।

आयोजक संगठन एवं सलाहाकार

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)

ऑल्टरनेटिव्ज़

ऑल्टरनेटिव लॉ फोरम

प्रोफेसर अरुण कुमार

अरुणाचल सिटिज़न्स राइट्स

एशिया पेसीफिक मूवमेंट फॉर डैट एण्ड डेवलेपमेंट (एपीएमडीडी)

बनवारी लाल शर्मा

बिराज पटनायक

सी. राममनोहर रेड्डी

सेंटर फॉर एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन

छोटा नागपुर आदिवासी सेवा समिति

सिटिजन्स वॉलंटियरी इनशिएटिव फॉर दि सिटी (सिविक)

कोलेबोरेटिव फॉर दि एडवांसमेंट ऑफ स्टडीज इन अर्बनिजम थ्रू मिक्स्ड मीडिया (कासूम)

कॉर्पोरेट एकाउंटेबिलिटी डेस्क

डाइस

प्रोफेसर दीपक नय्यर

ईएएस शर्मा

इक्वेशन्स

फूड फर्स्ट इन्फॉरमेशन एण्ड एक्शन नेटवर्क (एफआईएएन)

फोकस ऑन दि ग्लोबल साउथ

फोरम फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क

नैशनल कैम्पेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन

इंडियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ)

इंटर-कल्चरल रिसोर्सेज़

जावेद नकवी

जनस्वास्थ्य अभियान

झारखंड माइंस एरिया कोऑर्डिनेशन कमेटी

जुबली साऊथ

केजी कन्नाबिरन

कल्पना कन्नाबिरन

कल्पवृक्ष एनवायर्नमेंट एक्शन ग्रुप

कल्याणी मेनन सेन

कैरेन कॉयल्हो

कंवलजीत सिंह

कविता श्रीवास्तव

किसान संघर्ष समिति

लोकायन

लोक शक्ति अभियान

लियो सल्दाना

लोक संघर्ष मोर्चा

एम. विजय भास्कर

मंथन अध्ययन केंद्र

माइकल गोल्डमेन

मिहिर देसाई

डॉ. एम. रघुराम

नरसिम्हा रेड्डी

नर्मदा बचाओ आंदोलन

नैशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स

नैशनल कैम्पेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स

नैशनल कमेटी फॉर दि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसा. ेर्सेज़ (एनसीपीएनआर)

नैशनल कान्फ्रेंस ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस (एनसीडीओ)

नैशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स ऐसोसिएशन (एनसीडीएचआर)

नैशनल हॉकर्स फेडरेशन

नील टांगरी

पीस

परिवर्तन

पीपुल्स कैम्पेन फॉर ए कॉमन स्कूल सिस्टम

प्लाचीमाड़ा सॉलिडेरिटी कमेटी

प्रफुल्ल बिदवई

प्रशांत भूषण

प्रयास

संजय पारिख

साथी -- सेहत

सत्य सागर

शलमली गुट्टल

शेतकरी संघटना

साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डेम्स, रिवर्स एण्ड पीपुल्स (एसएएनडीआरपी)

सुब्रत

सुधीर पटनायक

अर्बन रिसर्च सेंटर

विकास अध्ययन केंद्र

विजय परांजपे

विनय बहादुर

सहयोगी संगठन/संस्थान

एक्शनएड इंडिया

आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन

एपी दलित मूवमेंट

आदिवासी मुक्ति संगठन, मध्य प्रदेश

ऑल असम कृषक मुक्ति संग्राम समिति

अस्मिता

आस्था

भारत ज्ञान विज्ञान समिति

सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी

चिंगारी महिला समिती

दहानु तालुका एनवायर्नमेंट वेलफेयर

जामासेम्सकनोटी

जन संस्कृति

जय युवक क्रांति दल

कृति

कर्नाटक राज्य रैयत संघ

खेती विरासत मिशन

कृषि बचाओ अंदाला

लोक विद्या साधिका रिघा संगठन

लोक शक्ति अभियान

एमबीसीएस सेंग सीआईटीपी

मानव अधिकार सेवा समिति (मास)

मुक्ति फाउंडेशन

मेडिकल मिशन सिस्टर्स

नदी घाटी मोर्चा

नागा पीपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स

नैशनल फोरम ऑफ फॉरेस्ट पीपुल्स

दलित मुक्ति मोर्चा

ईसीएम

एफडीआई वॉच

फोरम फॉर इंडीजिनस पर्सपेक्टिव्ज़ एण्ड ऐक्शन (एफआईपीए), मणिपुर

जीकेडीएमएस

गोगा भंगूल प्रोटूराड एक्शन वृहग्रह कमेटी

ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेंट फाउंडेशन

ह्यूमन राइट्स फोरम

इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट

जागोरी

जजातीय दलित संघ

प्राकृतिक संपदा सुरक्षा परिषद

पर्यावरण सुरक्षा समिति

पेरियार मलिनीकरण विरुद्ध समिति

रमेश डोडामणि

राष्ट्र सेवा दल

रिवर बेसिन फ्रेंड्स, असम

रूरल वॉलंटियर्स सेंटर, असम

एसडब्ल्यूएटीई

समाजवादी जन परिषद

शांति सेवा नेरंदल मनोर, रालघर

सोसाइटी इन ऐक्शन फॉर रूरल डेवलेपमेंट (एसएआरडी)

साऊथ इंडियन सेल फॉर ह्यूमन राइट्स ऐजुकेशन ऐण्ड मॉनिटरिंग (एसआईसीएचआरईएम)

साइनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विसेज

तमिलनाडु मैनुअल वर्कर्स यूनियन

एण्ड फोरेस्ट वर्कर्स

नैशनल फिशवकर्स फोरम

नैशनल वर्किंग ग्रुप ऑन पेंटेट लॉज

नैशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज

निर्माण मजदूर पंचायत संगम

तमिलनाडु वीमेन्स फोरम, चेन्नई

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज

अनॉर्गेनाइज्ड वर्कर्स फेडरेशन

वियाज्योति

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संगठन/संस्थान

अकोर्न इंटरनैशनल

एड/वॉच ऑस्ट्रेलिया

एंटी प्राइवेटाइजेशन एलायंस, पाकिस्तान

बैंक इन्फॉर्मेशन सेंटर

बांग्ला प्रैक्सिस

ब्रेटन वूड्स प्रॉजेक्ट

जेंडर एक्शन

जुबली साउथ

नेटवर्कर्स साउथ नॉर्थ

पाकिस्तान किसान रविता कमेटी

क्रिशचियनएड

डॉक्टर्स फॉर ईराक

यूरो डैड

फॉरेस्ट पीपुल्स प्रोग्राम, ब्रिटेन

फ्रेंड्स ऑफ दि अर्थ इंटरनैशनल

ग्रेन

साउथ एशिया एलायंस फॉर पावर्टी इरेडिकेशन

दि वियतनाम पीस कमेटी

वीओआईसीई, बांग्लादेश

रूरल रीकंस्ट्रक्शन, नेपाल

सचिवालय

केंद्रीय समन्वय

दीपिका डिसूजा   मिशेल केली   हर्ष डोभाल

ईवेंट मैनेजमेंट

प्रेस
सुरेश नौटियाल
आबिद शाह

ज्यूरी का स्वागत
आत्रेयी सेन
सुचिस्मिता

आवास
रमेश कुमार शर्मा

आउटरीच, संस्कृति एवं कला
आंचल कपूर (कृति)
क्रांति चिनप्पा
पवित्रा डी तुलाधर
सलोनी गुप्ता

परिवहन
अशोक शर्मा

अनुवाद एवं तकनीकी सहायता
पीटी जॉर्ज/शौकत हुसैन
जूली एल/गिलोम डी

शोध सहायक
कार्स्टन डब्ल्यू/नादिया एच
ग्रेस पी/छवि आर

भोजनः सऊद ताहिर

स्थल प्रबंधन
हितेन्द्र चौहान/संजय शर्मा

वॉलंटियर समन्वयक
प्रिया वाजपेयी

पंजीकरण
स्मृति एम
अमरजीत सिंह/रवि प्रकाश

अकाउंट्स
पीटी जॉर्ज/विलफ्रेड डिसूजा

सचिवालय को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, लेडी श्रीराम कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा अन्य संस्थानों के बहुत सारे विद्यार्थियों ने सहायता दी।